विजय शंकर पांडे

बनाम

भारत का संघ और अन्य

(सिविल अपील सं. 9043/2014)

22 सितंबर, 2014

[जे. चेलामेश्वर और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

सेवा कानूनः

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968-आरआर.3, 7, 8 और 17-अनुशासनात्मक कार्रवाई-आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता-आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र-अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई-न्यायाधिकरण द्वारा खारिज की गई याचिका, हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका अपीलकर्ता द्वारा वापस ले ली गई-इसके बाद, अपीलकर्ता ने जांच अधिकारी द्वारा आरोपों से बरी होने के बावजूद, सरकार ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा से दायर रिट याचिका में काले धन के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने के आरोप थे-बनाए गए आरोपों की फिर से जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच बोर्ड के गठन के लिए आदेश पारित किया-आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया यह तथ्य कि पूछताछ प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं है, जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से दरकिनार करने और दूसरी जांच का आदेश देने के लिए एक आधार नहीं है-अदालत यह समझने में विफल है कि कैसे प्रतिवादी याचिका दायर करने में आरोप हैं कि भारत सरकार कानून का शासन स्थापित करने के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में ढिलाई बरत रही है

या तो आत्यन्तिक अखंडता और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफलता या सेवा के किसी सदस्य के अनुचित आचरण में लिप्त होने के बराबर कहा जा सकता है-जांच रिपोर्ट को अस्वीकार करने का आदेश, पूरी तरह से असमर्थनीय है-विवादित कार्यवाही न केवल अपीलकर्ता को डराने की रणनीति है, बल्कि उन लोगों को भी संकेत भेजने की रणनीति है जो भविष्य में किसी भी कुप्रशासन को उजागर करने की हिम्मत कर सकते हैं।8(15), (16) (20) और (24)-लागत।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 सामान्य नियम यह है कि केवल एक ही पूछताछ हो सकती है।के. आर. देब मामले में, इस न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों में आगे की जांच की संभावना को भी मान्यता दी है। हालाँकि निर्णय यह स्पष्ट करता है कि तथ्य यह है कि रिपोर्ट पूछताछ प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुशासनात्मक प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं है, यह जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से अलग करने और दूसरी जांच का आदेश देने का आधार नहीं है।[पैरा 23] [1254 सी-ई]

1.2 जिस आदेश में राज्य ने बोर्ड द्वारा नई जांच का आदेश देने के लिए प्रतिवादी द्वारा दर्ज किए गए कारणों की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया-कि 30 अगस्त, 2012 की जांच रिपोर्ट सरसरी है; अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और आचरण) नियम, 1969 के नियम 8 (15), (16), (20) और (24) का उल्लंघन करते हुए जांच की गई थी; रिट याचिका (सी) सं. इस न्यायालय की फाइल पर 2010 का 37 केंद्र सरकार की आलोचना का गठन करता है, और इसलिए, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3 (1), नियम 7,8 (1) और 17 का स्पष्ट उल्लंघन है; और यह कि जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले तथ्यों की ठीक से

जांच करने में विफल रहा, सभी असमर्थनीय हैं।[पैरा 26,32,34,35,37,38) [1254-जी-एच; 1255-ए-सी]

1.3 न्यायालय यह समझने से चूक गया है कि भारत सरकार द्वारा कानून का शासन स्थापित करने के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में ढिलाई बरतने के आरोपों वाली रिट याचिका दायर करना या तो आत्यन्तिक अखंडता और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफलता या सेवा के किसी सदस्य के अनुचित आचरण में लिप्त होने के बराबर कैसे कहा जा सकता है। अन्यथा भी, जांच रिपोर्ट को अस्वीकार करने का आदेश पूरी तरह से असमर्थनीय है। कार्यवाही के पीछे का उद्देश्य अपीलकर्ता को परेशान करना प्रतीत होता है क्योंकि उसने भारत सरकार में कुप्रशासन के कुछ पहलुओं को इंगित करने की हिम्मत की थी। प्रतिवादी की कार्रवाई राम जेठमलानी और अन्य अन्य भारत संघ और अन्य के मामले में स्पष्ट रूप से दर्ज उनके आचरण के अनुरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा प्रयास काले धन के सवाल की किसी भी जांच को किसी भी तरह से निष्पक्ष या अनुचित तरीके से दबाने का है। तत्काल विवादित कार्यवाही और कुछ नहीं बल्कि न केवल अपीलकर्ता को डराने-धमकाने की रणनीति का एक हिस्सा है, बल्कि उन लोगों को भी संकेत देना है जो भविष्य में किसी भी कुशासन को उजागर करने का साहस कर सकते हैं।तथ्य यह है कि यह न्यायालय अंततः डब्ल्यू. पी. सं.37/ 2010 और संबंधित मामलों में की गई शिकायत के सार से सहमत हो गया और काले धन के मुद्दे पर एक स्वतंत्र जांच का निर्देश दिया। [पैरा 40,41] [1262-बी-ई; 1263-ए]

1.4 संविधान घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस तरह के लोकतांत्रिक गणराज्य की आवश्यकता यह है कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई को कारण के साथ सूचित किया जाए। राज्य नौकरशाही के समूह को प्रतिगामी रूप से विकृत करने का पदानुक्रम नहीं है। व्यक्तिगत या सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के

लिए न्यायिक उपचार का अधिकार इस देश के विषयों (नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों) का एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य के कर्मचारी एक अलग और निम्न वर्ग के सदस्य नहीं बन सकते हैं जिनके लिए ऐसा अधिकार उपलब्ध नहीं है।[पैरा 42,43] [1263-ए-बी; 1264-ए-बी]

1.5 प्रतिवादी का मानना था कि देश के लिए कमजोर आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं का कारण बनने वाली इस कार्यकारी कदाचार की अदालत में शिकायत एक सिविल सेवक के लिए अनुचित आचरण के बराबर है।एक अन्य कारक था जिसने प्रत्यर्थी को वस्तुतः कानूनी द्वेष के दायरे में लाया, प्रत्यर्थी का एक अन्य कर्मचारी भी इस न्यायालय में दायर सिविल रिट में एक प्रतिलिपिकार था।लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।यह वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है और प्रतिवादी को वास्तविक रूप से संदिग्ध बनाता है। [पैरा 44] [1264-बी-डी]

1.6 प्रतिवादी संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से अपीलकर्ता को लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जिसकी राशि रु. 5,00,000-(पाँच लाख रुपये) निर्धारित की गई है।[पैरा 45] [1264-डी-ई]

*के. आर. देब बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग 1971 सप्लीमेंट एससीआर 375:(1971) 2 एस. सी. सी. 102-पर निर्भर।

**राम जेठमलानी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2011 (8) एससीआर 725:(2011) 8 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

केस लॉ रेफरेन्स

2011 (8) एस. सी. आर. 725	में निर्दिष्ट	पैरा 7
1971 पूरक एस. सी. आर. 375	भरोसा किया	पैरा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल याचिका संख्या 9043/2014

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में द्वारा 2014 के डब्ल्यू. पी. संख्या 87 (एस/बी) में पारित 03.04.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

पल्लव शिशोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपूर्व तिवारी और कमलेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

केवी विश्वनाथन,उपेंद्र मिश्रा और अभिषेक कुमार, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय चेलामेश्वर जे.द्वारा दिया गया था।

1 अनुमति अनुदत्त गई।

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फाइल पर रिट याचिका(एस/बी) सं.87/2014 में असफल याचिकाकर्ता इसमें अपीलकर्ता है। दिनांक 3.4.2014 के विवादित फैसले द्वारा उक्त रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।22.7.2011 पर उन्हें पांच आरोपों से युक्त आरोप पत्र दिया गया था। सभी आरोप इस आशय के हैं कि अपीलकर्ता का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 (जिसे इसके बाद "अनुबंध नियम" कहा जाता है) के नियम-3,7,8 और 17 के विपरीत है। कुछ पत्राचार के बाद, (जिनका विवरण वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है), अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 27.2.2012 पर एक पूछताछ अधिकारी नियुक्त किया।अपीलकर्ता ने अपना जवाब 5.3.2012 पर प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता ने ओ ए सं.623/2012 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप पत्र को चुनौती दी जिसे अंततः 29.8.2012 पर खारिज कर दिया गया।उसी से नाराज, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश अंतिम हो गया।

4. पूछताछ अधिकारी ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए 30.8.2012 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।उक्त रिपोर्ट की प्रति उन्हें नहीं दी गई है।

5. 9.9.2012 पर, सुपर टाइम स्केल-II (ए. एस. टी. एस.-II) में पदोन्नति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए एक चयन समिति की बैठक आयोजित की गई।अपीलकर्ता के मामले पर विचार किया गया और निर्णय को सीलबंद लिफाफे में रखा गया।इसलिए, अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को 11.9.2012 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया कि पूछताछ अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किए जाने के मद्देनजर, उसे सुपर टाइम स्केल-II (ए. एस. टी. एस.-II)) में पदोन्नत किया जाए।चूंकि अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए उन्होंने ओ.ए. सं381/ 2012 में एक बार फिर 26.9.2012 पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया।

> "क) जांच अधिकारी द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी जांच रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी को आदेश या निर्देश जारी करना;
>
> ख) चयन समिति की सिफारिशों के सीलबंद लिफाफे को खोलने और आवेदक के संबंध में पदोन्नति आदेश तुरंत जारी करने के लिए प्रतिवादी को आदेश या निर्देश जारी करना;
>
> ग) ऐसे अन्य आदेश जिन्हें यह न्यायाधीशाधिकरण न्यायाधीशसंगत, उचित और उचित समझे, उन्हें भी न्यायाधीश के हित में पारित किया जाए"

उसी दिन अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 (3) को लागू करने वाला एक आदेश (जिसे इसके बाद "इम्प्यूज्ड ऑर्डर" के

रूप में संदर्भित किया गया है) (जिसे इसके बाद "डिस्किप्लिन नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पारित किया गया।आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "2. जाँच अधिकारी श्री जगन मैथ्यूज ने अपने दिनांकित 30.08.2012 पत्र के माध्यम से जाँच रिपोर्ट भेजी।सरकारी स्तर पर जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट की जाँच करने पर यह पाया गया कि जाँच अधिकारी ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम-8 (15), 8 (16), 8 (20) और 8 (24) के अधिदेश का पालन किए बिना एक सरसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी क्योंकि श्री विजय शंकर पांडे द्वारा से केंद्र सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में आलोचना की गई है और इस प्रकार यह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 (1), नियम-7, नियम-8 (1) और नियम-17 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए जाँच अधिकारी जाँच कार्यवाही में तथ्यों की ठीक से जाँच करने में विफल रहा है।
>
> 3. इसलिए, श्री विजय शंआदेश पांडे आई. ए. एस.-1979 के मामले में, माननीय राज्यपाल ने जांच अधिकारी, श्री जगन मैथ्यूज की जांच रिपोर्ट को अस्वीकार आदेशने के बाद, उनके स्थान पर अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम-8 के उप-नियम (3) के तहत 2 सदस्यीय जांच बोर्ड का गठन किया, जिसमें श्री आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री अनिल कुमार गुप्ता, अवसंरचना और औद्योगिक आयुक्त, उत्तर

प्रदेश सरकार शामिल थे ताकि उनके खिलाफ लगाए गए दंड की जांच की जा सके।"

6. दिनांक 26.9.2012 आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने एक ओ.ए.सं.395/2012 दाखिल करके फिर से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले के ओ.ए.सं.381/2012 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 16.4.2013 पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह निष्फल हो गया था। ओ.ए.सं..395/2012 को भी कुछ निर्देशों के साथ 20.12.2013 पर खारिज कर दिया गया था।बाद के निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका सं. 87/2014 (एस/बी) में चुनौती दी गई थी, जिसमें यहाँ अपील के तहत आदेश (जिसे इसके बाद ऐपेल के तहत आदेश के रूप में संदर्भित किया गया है) को रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित किया गया था।

7. इस मामले के पृष्ठभूमि तथ्य यह हैं कि 2010 की एक रिट याचिका (सी) सं.37 जिसका शीर्षक था "जूलियो एफ. रिबेरो और अन्य बनाम। अपीलकर्ता सहित भारत सरकार, एक गैर-सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.), भारत पुनरुत्थान पहल के नाम और शैली के तहत दायर की गई। उक्त रिट याचिका एक अन्य याचिका के साथ राम जेठमलानी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2011) 8 एस. सी. सी. 1 में इस न्यायालय के एक फैसले में समाप्त हुई। अपीलकर्ता के खिलाफ सभी आरोप इस आधार पर उक्त रिट याचिका दायर करने के संबंध में हैं कि याचिकाकर्ता का आचरण विभिन्न अनुबंध नियमों का उल्लंघन है। आरोप संख्या 1 भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उक्त रिट याचिका में दिए गए कुछ बयानों के कारण है।दूसरा आरोप यह है कि अपीलकर्ता अनुबंध नियमों के नियम 13 की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा, जिसके तहत वह ऐसे संगठन (एन. जी. ओ.) का सदस्य बनने के एक महीने के भीतर प्रतिवादी को जानकारी देने के लिए बाध्य है।तीसरा और चौथा

आरोप 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं.37 में लगाए गए आरोप पर आधारित है। आरोपों का सार यह है कि वे आरोप केंद्र और राज्य सरकारों की कार्रवाई की आलोचना करने और सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना सबूत देने के समान हैं और इसलिए, अनुबंध नियमों के क्रमशः नियम 7 और 8 का उल्लंघन करते हैं। आरोप संख्या 5 यह है कि अपीलकर्ता ने अनुबंध नियमों के नियम 173 का उल्लंघन किया है।

शुल्क संख्या 1

रिट याचिका सं.37 (सिविल)/2010 जूलियो एफ. रिबेरो और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य को इंडिया रेजुव-नेशन इनिशिएटिव, एन. जी. ओ. द्वारा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया हैःएक ऐसा न्यायालय जिसमें आप भी एक याचिकाकर्ता हैं।याचिकाकर्ताओं की ओर से उपरोक्त रिट याचिका में (जिसमें आप भी शामिल हैं) श्री जसबिर सिंह द्वारा एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें श्री एस. के. दुबे द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में लगाए गए आरोपों के पैरा 4 का समर्थन किया गया है, जिसकी आपसे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य होने की उम्मीद नहीं थी।

आपका यह आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 के विपरीत है और आपके पास vi है।उपरोक्त नियम से प्रसन्न हुए।

शुल्क संख्या 2

इंडिया रिजुवेनेशन इनिशिएटिव नामक संस्थान का सदस्य बनने से पहले आपने सरकार को सूचित नहीं किया था, जबकि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-13 के अनुसार जानकारी सदस्य बनने के एक महीने के भीतर दी जानी है।

आपका यह आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-3 के विपरीत है और आपने उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया है।

शुल्क संख्या 3

रिट याचिका(सिविल)37/2010 जूलियो एफ. रिबेरो और अन्य बनाम भारत सरकार और आपके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से (जिसमें आप भी शामिल हैं), भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना की गई थी, जबकि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को मीडिया या प्रेस में, केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार दोनों के कार्यों की आलोचना करने से प्रतिबंधित किया गया है।इस प्रकार आपने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-7 का उल्लंघन किया है।

आपका यह आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-3 के विपरीत है और आपने उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया है।

शुल्क संख्या 4

रिट याचिका(सिविल) सं.37/2010 जूलियो एफ. रिबेरो और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से दायर किया (जिसमें भी शामिल है), भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की आलोचना की गई थी, जबकि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-8 के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को किसी भी जांच में गवाही देने की अनुमति नहीं है जिसमें केंद्र या राज्य सरकार की आलोचना की जा सकती है।

आपका यह आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-3 के विपरीत है और आपने उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया है।

शुल्क संख्या 5

जूलियो एफ. रिबेरो और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अतिरिक्त शपथ पत्र करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी (जिसमें आप भी शामिल हैं), जबकि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी कोई जानकारी देने की अनुमति नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकार की अवहेलना करती है। इस प्रकार आप अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-17 का पालन करने में विफल रहे।

आपका इस तरह का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-3 के खिलाफ है और आप उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए दोषी हैं।

8. अपीलकर्ता ने इस तथ्य पर कभी विवाद नहीं किया कि वह रिट याचिका (सिविल) सं.37/2010 (ऊपर संदर्भित) में याचिकाकर्ताओं में से एक था और न ही उसने उक्त रिट याचिका में दिए गए बयानों (आरोपों) का खंडन किया। जाँच अधिकारी ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। दूसरे प्रत्यर्थी ने पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट को दो आधारों पर खारिज कर दिया; कि पूछताछ अधिकारी ने डिस्किप्लिन नियमों के नियम 8 (15), 8 (16), 8 (20) और 8 (24) के अधिदेश का पालन किए बिना एक सरसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की; और तथ्यों की ठीक से जांच करने में विफल रहे। दिलचस्प बात यह है कि आई. एम. पी. यू. जी. एन. ई. डी. आदेश में कहा गया है कि आरोप-पत्र में दर्ज अपीलकर्ता का आचरण "1969 के नियमों 3 (1), 7,8 (1) और 17 का स्पष्ट उल्लंघन है।"इसलिए, दूसरे प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए आरोपों की फिर से जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया।

9. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शीशोदिया ने दो आधारों पर आई. डी. 1 दिनांकित आई. एम. पी. यू. जी. एन. ई. डी. आदेश पर हमला कियाः

(ए) डिस्किपलाइन नियमों के नियम 8 (3) का आह्वान पूरी तरह से अवैध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नियम केवल राज्य को उपलब्ध कार्रवाई के दो पाठ्यक्रमों के बीच चयन करने में सक्षम बनाता है यदि वह नियमों के तहत विचार की गई जांच करने का निर्णय लेता है।

(i) लोक सेवक के कदाचार की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना; या

(ii) लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के तहत एक प्राधिकरण या बोर्ड की नियुक्ति।

10. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डिस्किपलाइन नियमों के तहत एक पूछताछ अधिकारी नियुक्त करने के बाद राज्य 1850 के अधिनियम के प्रावधानों का सहारा केवल इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि राज्य जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत होने में समर्थ नहीं है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि (राज्य द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए) दिया गया कारण कि जांच डिस्किपलाइन नियमों के नियम-8 (15), 8 (16), 8 (20) और 8 (24) में निहित जनादेश का उल्लंघन करते हुए की गई थी, कानून में पूरी तरह से अस्थिर है-क्योंकि 26.9.2012 का आदेश पूछताछ अधिकारी द्वारा किए गए उपरोक्त नियमों के सटीक उल्लंघन को निर्दिष्ट करने में विफल रहता है। दूसरी ओर, इनमें से कोई भी प्रावधान मामले में नहीं है क्योंकि उपर्युक्त नियमों में से प्रत्येक जांच करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। डिस्किप्लाइन नियमों के नियम 8 (15) और 8 (16) में ऑडी अल्टेम

पार्टेम के नियम को शामिल किया गया है ताकि अपचारी अधिकारी के साथ-साथ राज्य दोनों आरोप पत्र में निर्धारित विभिन्न आरोपों पर अपने-अपने रुख के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें।1969 के नियमों का नियम 8 (20) केवल पूछताछ अधिकारी को लिखित विवरण प्राप्त करने या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और अपचारी दोनों को सुनने में सक्षम बनाता है।नियम कार्रवाई के किसी भी कारण को अनिवार्य नहीं करता है जब तक कि पक्ष ऐसा नहीं चाहते।यह किसी भी स्तर पर राज्य का मामला नहीं है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या तो व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता था या एक लिखित संक्षिप्त फाइल करना चाहता था, इसलिए, 1969 के नियमों के नियम 8 (20) का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है।अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिस्किपलाइन नियमों के नियम 8 (24) में केवल उस प्रारूप को निर्धारित किया गया है जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। प्रारूप के साथ गैर-अनुपालन, यदि कोई हो (क्योंकि अपीलकर्ता कोई प्रस्तुति देने में असमर्थ है क्योंकि रिपोर्ट की प्रति स्वयं अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई है), रिपोर्ट की वैधता के लिए घातक नहीं है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार डिस्किप्लाइन नियमों के नियम 8 (24) को केवल अनुशंसा के रूप में माना जाना चाहिए लेकिन अनिवार्य के रूप में नहीं।

(ख) दिनांकित 30.08.2012 की जांच रिपोर्ट को अस्वीकार करने में राज्य का अंतिम निष्कर्ष यह है कि "जांच अधिकारी तथ्यों की ठीक से जांच करने में विफल रहा है।"विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवाद में कोई तथ्य नहीं हैं जिनकी जांच करने की आवश्यकता है।अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र में आरोपित सभी तथ्यों को अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है।जाँच अधिकारी को केवल एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है कि क्या, उनकी राय में, स्वीकार किए गए तथ्य आरोप पत्र में निर्दिष्ट किसी भी आचरण नियमों के तहत कोई कदाचार हैं।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि एपीपीएएल के तहत आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूछताछ अधिकारी का आदेश डिस्किप्लाइन नियमों के नियम 8 (15), (16), (20) और (24) का पूरी तरह से पालन नहीं करता है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य का निर्णय डिस्किपलाइन नियमों के नियम 8, उप-नियम (3) के तहत प्रदत्त अधिकार के भीतर है।

13. खण्ड पीठ ने अपने निष्कर्ष के आधार पर कहा कि आई. डी. 1 दिनांकित आई. एम. पी. यू. जी. एन. ई. डी. आदेश को दो कारकों पर दोष नहीं दिया जा सकता है।वे इस प्रकार हैंः

(i) कि पूछताछ अधिकारी ने डिस्किपलाइन नियमों के नियम 8 के तहत कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.8.2012 प्रस्तुत की;

(ii) अधिक दिलचस्प रूप से, उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से इस निवेदन को स्वीकार कर लिया कि नियम 8 के तहत पूछताछ अधिकारी की नियुक्ति का प्रारंभिक आदेश कानून में अस्थिर है।राज्य को इस तरह की त्रुटि का एहसास केवल उक्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के चरण में हुआ था।

14. इसलिए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य सरकार डिस्किप्लाइन नियमों के नियम 8 (3) के तहत विचार किए गए एक बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी की नियुक्ति करने के लिए कानूनी रूप से उचित है।

15. अब, हम प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

16. अपीलकर्ता के पहले प्रस्तुतिकरण की जाँच डिस्किप्लिन नियमों के नियम 8 (1), (2) और (3) के आलोक में की जानी है।जहाँ तक प्रासंगिक है नियम 8 निकाला गया हैः

नियम 8, बड़े दंड लगाने की प्रक्रिया -

(1) नियम 6 में निर्दिष्ट किसी भी प्रमुख दंड को अधिरोपित करने का कोई आदेश इस नियम और नियम 10 में या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) द्वारा प्रदान किए गए तरीके से, जहां उस अधिनियम के तहत ऐसी जांच की जाती है, जहां तक हो सके, जांच किए जाने के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय होती है कि सेवा के किसी सदस्य के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार हैं, तो वह इस नियम के तहत या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के तहत, जैसा भी मामला हो, इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है।

(3) जहां एक बोर्ड को जांच प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसमें कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, बशर्ते कि ऐसे बोर्ड का कम से कम एक सदस्य उस सेवा का अधिकारी होगा जिससे सेवा का सदस्य संबंधित है।

17. यह स्पष्ट है कि नियम 8 (1) नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के तहत जांच किए बिना किसी भी बड़े जुर्माने को लागू करने से रोकता है।

18. नियम 8 (2) विशेष रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकरण को सेवा के किसी सदस्य के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है यदि

अनुशासनात्मक प्राधिकरण की राय है कि जांच करने के लिए आधार हैं।ऐसे प्राधिकारी को या तो नियमों के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जा सकता है।

19. नियम 8 (3) एक जांच प्राधिकरण के रूप में एक बोर्ड की नियुक्ति पर विचार करता है और यह निर्धारित करता है कि ऐसे बोर्ड में कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक उस सेवा का अधिकारी होना चाहिए जिससे अपचारी अधिकारी संबंधित है।"बोर्ड" शब्द को नियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।नियम 8 (2) और (3) की योजना से केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'पूछताछ प्राधिकरण' शब्द का अर्थ है या तो एक सदस्य प्राधिकरण या दो या दो से अधिक सदस्यों से बना बोर्ड।

20. सभी पक्षकारों-अपीलकर्ता, प्रतिवादी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि डिस्किप्लिन नियमों के नियम 8 (3) के तहत दो सदस्यीय जांच बोर्ड का गठन करने वाला आयातित आदेश लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के तहत ऐसे बोर्ड का गठन करने वाला एक आदेश है। हम इस तरह के निष्कर्ष का कोई आधार नहीं देखते हैं। आयातित आदेश में कहीं भी लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम का उल्लेख नहीं है और न ही नियम 8 (3) में ऐसा कुछ है जो यह सुझाव देता है कि जब भी एक बहु-सदस्यीय बोर्ड को पूछताछ प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे बोर्ड की नियुक्ति केवल लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा सकती है। नियम 8 (2) की भाषा इतनी व्यापक है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अपचारी अधिकारी के कदाचार की जांच के लिए या तो एक सदस्य पूछताछ प्राधिकरण या एक बहु-सदस्य बोर्ड नियुक्त करने में सक्षम बनाता है।

21. चाहे जो भी हो, सवाल यह है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण पहले से की गई जांच को छोड़ने और एक नए पूछताछ प्राधिकरण (बहु-सदस्य) की नियुक्ति का सहारा लेने की ऐसी प्रथा का सहारा ले सकता था। मुद्दा वास्तव में यह नहीं है कि पूछताछ प्राधिकरण एकल सदस्य होना चाहिए या बहु-सदस्य निकाय, बल्कि यह है कि क्या चुनौती के तहत दूसरी जांच की अनुमति है।के. आर. देब बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग, (1971) 2 एस. सी. सी. 102 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 15 (1) के संदर्भ में प्रश्न की जांच की। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक उप-निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता) के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था।जाँच अधिकारी ने माना कि आरोप साबित नहीं हुआ था। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने एक अन्य जांच अधिकारी को "एक पूरक खुली जांच करने के लिए" नियुक्त किया।इस तरह की पूरक जांच की गई और एक रिपोर्ट दी गई कि "आरोप स्थापित करने" के लिए "कोई निर्णायक सबूत" नहीं था। संतुष्ट नहीं होने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सोचा कि "आरोप की नए सिरे से जांच करने के लिए एक और जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।"

22. न्यायालय ने कहा किः

> "12. हमें ऐसा लगता है कि नियम 15, इसके बावजूद, वास्तव में एक जांच का प्रावधान करता है, लेकिन यह संभव हो सकता है कि किसी विशेष मामले में कोई उचित जांच नहीं हुई हो क्योंकि जांच में कुछ गंभीर दोष आ गया हो या कुछ महत्वपूर्ण गवाह जांच के समय उपलब्ध नहीं थे या किसी अन्य कारण से, अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी से आगे सबूत दर्ज करने के लिए कह सकता है।लेकिन नियम 15 में इस आधार पर पिछली पूछताछ को पूरी तरह से

दरकिनार करने का कोई प्रावधान नहीं है कि जांच अधिकारी या अधिकारियों की रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अपील नहीं करती है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास साक्ष्य पर पुनर्विचार करने और नियम 9 के तहत अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

13. हमारे विचार में नियम उस कार्रवाई पर विचार नहीं करते हैं जो कलेक्टर द्वारा 13 फरवरी, 1962 को की गई थी। हमें ऐसा लगता है कि कलेक्टर, स्वयं जिम्मेदारी लेने के बजाय, अपीलकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए किसी अधिकारी को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। अपनाई गई प्रक्रिया न केवल नियमों द्वारा समर्थनीय थी, बल्कि अपीलकर्ता को परेशान कर रही थी।" (जोर दिया गया) और के. आर. देब की अपील की अनुमति दी गई।

23. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सामान्य नियम यह है कि केवल एक ही पूछताछ हो सकती है। इस न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों में आगे की जांच की संभावना को भी मान्यता दी है।हालाँकि निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि यह तथ्य कि पूछताछ प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं है, जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से दरकिनार करने और दूसरी जांच का आदेश देने का आधार नहीं है।

24. डिस्किप्लाइन नियमों के नियम 8 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15 की योजना समान हैं। इसलिए, देब के मामले में निर्धारित सिद्धांत, हमारी राय में, पूरी तरह से मामले पर लागू होगा।

25. इसलिए, हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि देब के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में आयातित आदेश की वैधता की जांच की जाए, अर्थात क्या मामले के तथ्यों पर आगे की जांच वास्तव में आवश्यक है। हम इस मामले के उद्देश्य के लिए आगे बढ़ेंगे कि इस तरह की आगे की जांच उसी अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए जिसने शुरू में एक जांच प्राधिकरण का गठन किया था और एक बहु-सदस्यीय बोर्ड द्वारा हो सकती है।

26. प्रतिवादी ने आई. एम. पी. यू. जी. एन. ई. डी. आदेश के तहत एक बोर्ड द्वारा नई जांच का आदेश देने के लिए चार कारण दर्ज किए।

(i) 30 अगस्त, 2012 की जांच रिपोर्ट सरसरी है।

(ii) जाँच डिस्किपलाइन नियमों के नियम 8 (15), (16), (20) और (24) का उल्लंघन करते हुए की गई थी।

(iii) इस न्यायालय की फाइल पर 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 37 की सामग्री केंद्र सरकार की आलोचना का गठन करती है, और इसलिए, कंडक्ट नियमों के नियम 3 (1), नियम 7,8 (1) और 17 का स्पष्ट उल्लंघन है।

(iv) कि जाँच अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले तथ्यों की ठीक से जाँच करने में विफल रहा।

27. आयातित आदेश की वैधता उपरोक्त की स्थायित्व पर निर्भर करती है।हम उपर्युक्त चार कारणों में से अंतिम पर विचार करेंगेः

4 कारणः

यह आत्यन्तिक रूप असमर्थनीय आधार है, क्योंकि आरोप-पत्र में विभिन्न आरोपों के तथ्यों के बारे में जांच करने के लिए जांच अधिकारी के पास कुछ भी नहीं था।अपीलकर्ता ने यहाँ कभी भी आरोपों की तथ्यात्मक शुद्धता पर विवाद नहीं किया।

उन्होंने स्वीकार किया कि वे रिट याचिका (सी) संख्या 37 (उपरोक्त) में एक याचिकाकर्ता थे।उन्होंने उक्त रिट याचिका में लगाए गए किसी भी आरोप को कभी अस्वीकार नहीं किया।इसलिए, जांच करने के लिए कोई तथ्य नहीं थे।

पहला कारणः

पहले कारण पर आते हैं-कि रिपोर्ट एक सरसरी रिपोर्ट है।रिपोर्ट की एक प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई है।उक्त रिपोर्ट की सामग्री ज्ञात नहीं है। रिपोर्ट के बारे में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।यदि ऐसा निष्कर्ष अन्यथा उचित है, चाहे रिपोर्ट सरसरी हो या विस्तृत, तो रिपोर्ट की वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।जो मायने रखता है वह दर्ज किए गए निष्कर्षों की शुद्धता है, न कि रिपोर्ट की भाषा की लंबाई या भव्यता जो उसमें दर्ज किए गए निष्कर्षों की वैधता को निर्धारित करती है। इसलिए यह जमीन समान रूप से असमर्थनीय है।

दूसरा कारणः

दूसरा कारण यह बताया गया है कि पूछताछ अधिकारी ने डिस्किप्लाइन नियमों के नियम 8 (15), (16) और (24) के आदेश का पालन नहीं किया।हम इन नियमों की सामग्री और दायरे की जांच करना और मामले के तथ्यों पर प्रत्येक नियम की प्रयोज्यता के बारे में अपने निष्कर्ष को दर्ज करना उचित समझते हैं।

28. नियम 8 (15) में प्रावधान है कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिनके द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आरोप के लेखों को साबित करने का प्रस्ताव किया गया है, को पूछताछ के लिए निर्धारित तिथि पर पेश किया जाएगा; अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से गवाहों से मुख्य और साथ ही क्रॉस आदि दोनों तरह से पूछताछ की जा सकती है। नियम से यह स्पष्ट है कि नियम का कोई भी

अनुप्रयोग नहीं हो सकता है जहां अपचारी अधिकारी अपने खिलाफ तथ्यात्मक आरोपों की शुद्धता को स्वीकार करता है।

29. नियम 8 (16) अतिरिक्त साक्ष्य और उसकी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने की बात करता है। उप-नियम (15) के संदर्भ में उल्लिखित कारणों के लिए, उप-नियम (16) का समान रूप से कोई आवेदन नहीं होगा, जहां अपचारी अधिकारी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक शुद्धता का विरोध नहीं करता है।

30. नियम 8 (20) 5 पूछताछ प्राधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी 5 नियम 8 (20) की ओर से दोनों प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को सुनने में सक्षम बनाता है। पूछताछ करने वाला प्राधिकारी, साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूरा होने के बाद, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, और सेवा के सदस्य को सुन सकता है या यदि वे चाहें तो उन्हें अपने-अपने मामलों की लिखित जानकारी दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। और अपचारी अधिकारी, साक्ष्य दर्ज करने के बाद पूरा हो जाता है। इसके अलावा, यह पूछताछ प्राधिकरण को दोनों पक्षों द्वारा लिखित संक्षिप्त विवरण की अनुमति देने में सक्षम बनाता है, यदि वे ऐसा चाहते हैं।

31. इस प्रकार नियम 20 का अनुप्रयोग दो कारकों के अस्तित्व पर निर्भर करता है।

(i) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति।

(ii) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एक लिखित संक्षिप्त विवरण दाखिल करना चाहता है।

32. हमें राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट दावा नहीं मिला कि वास्तव में एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था और ऐसा अधिकारी एक लिखित संक्षिप्त फाइल करने या मौखिक प्रस्तुतियाँ करने की इच्छा रखता था, लेकिन पूछताछ

प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने से रोक दिया गया था।इसलिए, यह कारण भी विफल होना चाहिए।

33. नियम 8 (24) पर आते हुए, उप-नियम इस प्रकार हैः-

"(24)(i) जाँच के समापन के बाद, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसमें शामिल होंगे -

(क) आरोप के लेख और दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोप का बयान;

(ख) प्रभार के प्रत्येक लेख के संबंध में सेवा के सदस्य का बचाव;

((ग) प्रत्येक आरोप-पत्र के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन; और

(घ) आरोप के प्रत्येक लेख पर निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण-यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही किसी भी आरोप के लेख को मूल आरोप के लेखों से अलग स्थापित करती है, तो वह ऐसे आरोप के लेख पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसे आरोप के लेख पर निष्कर्ष तब तक दर्ज नहीं किए जाएंगे जब तक कि सेवा के सदस्य ने या तो उन तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है जिन पर ऐसा आरोप का लेख आधारित है या उसे ऐसे आरोप के लेख के खिलाफ अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिला है।

(ii) जाँच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जाँच के अभिलेख भेजेगा जिसमें शामिल होंगे -

(क) खंड (i) के तहत उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) सेवा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत बचाव का लिखित बयान, यदि कोई हो;

(ग) जाँच के दौरान प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या सेवा के सदस्य या दोनों द्वारा दायर लिखित विवरण, यदि कोई हो; और

(ङ) जाँच के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी और जाँच प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश, यदि कोई हों।"

34. यह निर्धारित करता है कि रिपोर्ट की सामग्री क्या होनी चाहिए।उपरोक्त नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह नियम वस्तुतः उस मामले में लागू नहीं होगा जहां अपचारी कर्मचारी आरोप के लेखों में निहित आरोपों की तथ्यात्मक शुद्धता पर विवाद नहीं करता है।इसलिए, यह कारण भी पूरी तरह से असमर्थनीय है।

3 कारणः

आयातित आदेश में दिए गए तीसरे कारण पर आते हुए कि 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 37 की सामग्री भारत सरकार के लिए आलोचनात्मक है, और इसलिए, अनुबंध नियमों के नियम 3 (1), 7,8 (1) और 17 का उल्लंघन करती है, हमारी राय है कि यह आधार समान रूप से असमर्थनीय है।

35. कंडक्ट नियमों का नियम 17 इस प्रकार हैः

"17. सेवा के सदस्यों के कृत्यों और चरित्र की पुष्टि।—सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा, आधिकारिक अधिनियम के समर्थन के लिए किसी भी न्यायालय या प्रेस का सहारा नहीं लेगा जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक चरित्र के हमले का विषय रहा है।

बशर्ते कि यदि अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी जाती है, तो सेवा सदस्य यह मानने के लिए स्वतंत्र होगा कि मांगी गई मंजूरी उसे दी गई है।

स्पष्टीकरण—इस नियम की कोई भी बात सेवा के किसी सदस्य को अपने निजी चरित्र या अपनी निजी क्षमता में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को सही साबित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।बशर्ते कि वह ऐसी कार्रवाई के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

हम यह समझने में विफल हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए आरोपों में निहित आरोपों की पृष्ठभूमि में इस नियम का उल्लंघन कैसे कहा जा सकता है। हमारी राय में, इस नियम का आरोप-पत्र में निहित आरोपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नियम केवल सेवा के किसी सदस्य को ऐसे सदस्य के आधिकारिक कृत्यों की पुष्टि के लिए अदालत या प्रेस का सहारा लेने से रोकता है जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक हमले का विषय रहे हैं। यह अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी आरोप की सामग्री नहीं है कि उसने डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 37/2010 दाखिल करके अपने किसी भी आधिकारिक कार्य को सही साबित करने की कोशिश की।

36. आचरण नियमों का नियम 7 इस प्रकार हैः

"7. सरकार की आलोचना—सेवा का कोई भी सदस्य, किसी भी रेडियो प्रसारण या किसी भी सार्वजनिक मीडिया पर संचार में या गुमनाम रूप से प्रकाशित किसी भी दस्तावेज में, छद्म नाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या प्रेस को किसी भी संचार में

या किसी भी सार्वजनिक बयान में, तथ्य या राय का कोई बयान नहीं देगा -

(i) जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हाल की नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव डालती है; या

(ख) जो केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम है; या

(ग) जो केंद्र सरकार और किसी भी विदेशी राज्य की सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम हैः

बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी सेवा के किसी सदस्य द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में और उसे सौंपे गए कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन में दिए गए किसी भी बयान या व्यक्त किए गए विचारों पर लागू नहीं होगा।"

37. स्पष्ट रूप से यह नियम केवल सरकार की नीतियों की आलोचना या ऐसा कोई बयान देने से रोकता है जिससे भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य या भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने की संभावना हो। दुर्-प्रशासन के आरोप, हमारी राय में, उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी के दायरे में नहीं आते हैं। लेखन याचिका (सी) सं.37/2010 में गीत का पूरा भार कुप्रशासन से संबंधित है।

38. आचरण नियमों का नियम 8 इस प्रकार हैः

"8. समितियों आदि के समक्ष साक्ष्य (1) उप-नियम (3) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार की पूर्व मंजूरी

के अलावा, किसी भी व्यक्ति, समिति या अन्य प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां उपनियम (1) के तहत कोई मंजूरी दी गई है, वहां इस तरह का साक्ष्य देने वाला सेवा का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में कुछ भी लागू नहीं होगा -

(क) सरकार या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष किसी जांच में दिया गया साक्ष्य; या

(ख) किसी न्यायिक जाँच में दिया गया साक्ष्य; या

(ग) सरकार के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा आदेशित विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।''

वस्तुतः नियम सेवा के किसी सदस्य को सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी भी व्यक्ति, समिति या अन्य प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी जांच के संबंध में साक्ष्य देने से रोकता है। हालांकि, उप-नियम (3) (बी) एक स्पष्ट घोषणा करता है कि नियम में कुछ भी किसी भी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य पर लागू नहीं होगादेश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित में दायर रिट याचिका नियम 8 (i) के तहत विचार की गई जांच नहीं हो सकती है। यह इस तथ्य के अलावा है कि उप-नियम (3) (बी) किसी भी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट रूप से बाहर करता है। इस तरह के अपवाद को दरकिनार करते हुए, नियम 8 इस देश के नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता का विध्वंसक होगा, जो सुशासन के मानदंडों के लिए हानिकारक होगा और संविधान के उदार लोकतांत्रिक ढांचे के विरोधी होगा।

39. नियम 3 (1) इस प्रकार हैः

"3. जनरल—(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, हर समय, आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो।"

40. हम यह समझने से चूक गए हैं कि भारत सरकार द्वारा कानून का शासन स्थापित करने के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में ढिलाई बरतने के आरोपों वाली रिट याचिका दायर करना या तो आत्यन्तिक अखंडता और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफलता या सेवा के किसी सदस्य के अनुचित आचरण में लिप्त होने के बराबर कैसे कहा जा सकता है।

41. अन्यथा भी, आयातित आदेश, हमारी राय में पूरी तरह से असमर्थनीय है। कार्यवाही के पीछे का उद्देश्य अपीलकर्ता को परेशान करना प्रतीत होता है क्योंकि उसने भारत सरकार में कुप्रशासन के कुछ पहलुओं को इंगित करने की हिम्मत की थी। प्रतिवादी की कार्रवाई (2011) 8 एस. सी. सी. 1 में स्पष्ट रूप से दर्ज उनके आचरण के अनुरूप है।यह पूरा प्रयास केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों दोनों के भीतर विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को दबाने के लिए प्रतीत होता है। हालाँकि, जाँच की गति की धीमी गति के बारे में किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, और इस बारे में किसी भी विश्वसनीय उत्तर की कमी कि प्रतिवादी ने उन कार्यों के संबंध में कार्य क्यों नहीं किया जो संभव थे, और प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के दायरे में, जैसे कि अभिरक्षा जांच, हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रतिवादी के प्रयासों में गंभीरता की कमी भारत संघ के कानूनों और संवैधानिक दायित्वों की आवश्यकताओं के विपरीत है। इस अदालत के आग्रह और हस्तक्षेप पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली खान से हिरासत में पूछताछ शुरू की और उसे सुरक्षित किया। काले धन के सवाल की जांच किसी भी तरह से उचित या अनुचित तरीके से की जाए। वर्तमान विवादित कार्यवाही और कुछ नहीं बल्कि न केवल

अपीलकर्ता को डराने-धमकाने की रणनीति का एक हिस्सा है, बल्कि उन लोगों को भी संकेत देना है जो भविष्य में किसी भी कुशासन को उजागर करने का साहस कर सकते हैं।तथ्य यह है कि यह न्यायालय अंततः 2010 की रिट याचिका और संबंधित मामलों में दायर शिकायत के सार से सहमत हो गया और काले धन के मुद्दे पर एक स्वतंत्र जांच का निर्देश दिया।

42. संविधान घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य की आवश्यकता यह है कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई को कारण के साथ सूचित किया जाए। राज्य नौकरशाही के समूह को प्रतिगामी रूप से विकृत करने का पदानुक्रम नहीं है।

43. व्यक्तिगत या सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार इस देश के विषयों (नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों) का एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य के कर्मचारी एक अलग और निम्न वर्ग के सदस्य नहीं बन सकते हैं जिनके लिए ऐसा अधिकार उपलब्ध नहीं है।

44. प्रतिवादी का मानना है कि देश के लिए कमजोर आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं का कारण बनने वाली इस कार्यकारी कदाचार की अदालत में शिकायत एक सिविल सेवक के लिए अनुचित आचरण के बराबर है।एक अन्य कारक है जो प्रत्यर्थी को वस्तुतः कानूनी द्वेष के दायरे में लाता है, कम से कम कहने के लिए, प्रत्यर्थी के एक अन्य कर्मचारी श्री जसवीर सिंह भी इस न्यायालय में दायर सिविल रिट में सह-याचिकाकर्ता थे।लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।यह वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है और प्रतिवादी को वास्तविक रूप से संदिग्ध बनाता है।

45. अपील की अनुमति है। अपील के तहत निर्णय तय किया गया है। नतीजतन, ओ. ए. की अनुमति दी जाती है जैसा कि प्रार्थना की जाती है। प्रतिवादी

संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से अपीलकर्ता को लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जिसकी मात्रा रु. 5,00,000-(पाँच लाख रुपये) निर्धारित की गई है। यह प्रतिवादी के लिए खुला है कि वे उन लोगों की पहचान करें जो अपीलकर्ता के खिलाफ इस तरह की अप्रिय कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं और यदि उत्तरदाता राजनीतिक इच्छाशक्ति रख सकते हैं तो राशि की वसूली कर सकते हैं।

निधि जैन

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।